

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज।

विज्ञप्ति

परिवार न्यायालय, महाराजगंज में उ0प्र0 परिवार न्यायालय नियमावली-1995 के नियम-20(1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी है जिसके लिये इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

चयन हेतु निर्धारित अर्हता एवं शर्तः-


- 1- आवेदक जनपद महाराजगंज का निवासी होना चाहिये।
- 2- आवेदक समाज शास्त्र अथवा मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का भी अनुभव हो। मास्टर डिग्री धारक तथा पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव होगा उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- 3- विज्ञापन की तिथि को आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम व 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 4- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति 03 वर्ष के लिये की जायेगी।
- 5- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी पर वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
- 6- आवेदन-पत्र दिनांक-03.06.2019 की सायंकाल-04:00 बजे तक जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज के कार्यालय में प्राप्त कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

जनपद न्यायाधीश,
महाराजगंज।
22.05.2019

परामर्शदाता पद हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- आवेदक का नाम-
- 2- पिता का नाम-
- 3- स्थाई पता-
- 4- जन्मतिथि-
- 5- विज्ञापन की तिथि को आयु- वर्ष- माह- दिन-
- 6- शैक्षिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)-
- 7- अनुभव-
- 8- जाति तथा वर्ग-
- 9- पत्र व्यवहार का पता-
- 10- कान्टैक्ट नम्बर (मोबाइल, व्हाट्सएप, ई-मेल आईडी0)
- 11- क्या कोई अपराधिक मुकदमा लम्बित है-
अथवा किसी ने दण्डित किया किया है (यदि हॉ-तो विवरण दें)
- 12- वर्तमान कार्य क्षेत्र-



आवेदक का हस्ताक्षर